सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, गिशातगंज, लखनऊ -226 007

महत्वपूर्ण

प्रेषक

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद।

पत्रांकः स्कूल चलो अभियान/5812/2013–14 लखनऊ, दिनांकः 18 मार्च 2013

विषयः **"स्कूल चलो अभियान" के संचालन के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में 6–14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक–बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ***मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– स्कूल चलो अभियान/5807/2013–14 दिनांक 16 मार्च 2013*** द्वारा ***15 अप्रैल से 31 मई 2013*** की अवधि में सम्पूर्ण प्रदेश में स्कूल चलो अभियान संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को प्रेषित किये गये हैं जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है।

उपरोक्त संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि समाज के सभी वर्गो से सहयोग प्राप्त कर अपने जनपद में दिनांक 15 अप्रैल 2013 से 31 मई 2013 तक सक्रिय अभियान चलाकर 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालयों में नामांकित कराया जाये तथा इस हेतु जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाये। स्कूल जाने के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों एवं सुविधाओं की जानकारी अध्यापकों द्वारा घर–घर जाकर उपलब्ध करायी जाये। विद्यालय परिवेश आकर्षक बनाये जाने हेतु विशेष ध्यान दिया जाये।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं, अल्प संख्यक समुदाय के बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों एवं समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने पर विशेष बल दिया जाये। इस कार्य के लिए शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को सक्रिय करना होगा।

स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने एवं वातावरण सृजन के लिए निम्नवत् गतिविधियां करायी जायें तथा इनका अनुश्रवण न्याय पंचायत, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अवश्य किया जाये।

रैली व प्रभात फेरी–

जन सामान्य एवं 6–14 वय वर्ग के बच्चों के माता–पिता /अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से ग्राम,न्याय पंचायत, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया जाए। रैली की तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री यथा–बैनर, रंगीन चॉक, तख्तिया, झंडियाँ आदि आवश्यकतानुसार समय से तैयार कर ली जायें।

घर–घर सम्पर्क–

जिन परिवारों से बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों को नामांकित कराने के उद्देश्य से इस दौरान बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क कर उन्हें अभिप्रेरित किया जाये। सम्पर्क किये गये घरों पर रंगीन चॉक से **E D** लिखकर तिथि भी अंकित की जाये। उदाहरणार्थ–यदि दिनांक 16 अप्रैल 2013 को सम्पर्क किया जाता है तो उस घर पर **ED/16-04-2013** अंकित किया जाये।

नामांकन मेला –

न्याय पंचायत स्तर पर समुदाय को शिक्षा के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु नामांकन मेला आयोजित किया जाए जिसमें न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों की सहभागिता हो। नामांकन मेला में पपेट शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, चर्चा आदि गतिविधियां आयोजित की जाएं, जिसमें समुदाय के सभी वर्गों की सहभागिता हो। मेले के अन्त में समुदाय द्वारा यह संकल्प लिया जाए कि उनके न्याय पंचायत में कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं होगा।

प्रवेश उत्सव –

समुदाय तथा बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए विद्यालय की साज–सज्जा करें। विद्यालय में बंदनवार तथा झण्डियां लगाकर आकर्षक बनायें। स्कूल की साफ–सफाई, साज–सज्जा करायें व पेयजल व शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करें। विद्यालय प्रबन्ध समिति के सहयोग से प्रवेश उत्सव मनाएं, जिसमें खेल कूद, नुक्कड नाटक, कहानी वाचन आदि कराया जाये।

<u>पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण–</u>

1 जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में कार्यक्रम के प्रभावी कियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण समिति की गठन किया जायेगा, जो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाली समस्त गतिविधियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करेगी।

2 अपने स्तर से समस्त ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत केन्द्र एवं विद्यालयों को पूर्ण निर्देश भेजना सुनिश्चित करें।

3 खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने विकास खण्ड के विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर स्कूल चलो अभियान से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों एवं विद्यालयों की साफ–सफाई, अभिभावकों से सम्पर्क कर विद्यालयों में नामांकन, छात्र–छात्राओं एवं अध्यापकों की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त की जाये तथा कक्षा–1 में नया प्रवेश लेने वाले बच्चों का विवरण भी प्राप्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 5 % विद्यालयों के आस–पास के घरों में रंगीन चॉक से लगे चिन्ह को भी नोट कर सत्यापन किया जायेगा।

4 प्रधान अध्यापक एवं अध्यापक/शिक्षा मित्र द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विवरण प्राप्त कर उक्त बच्चों के घर पर जाकर बच्चों के विद्यालय में नामांकित कराये जाने की पुष्टि सुनिश्चित करें। नगर क्षेत्रों में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान एंव उनका विद्यालयों में प्रवेश पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।

5 स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों, समन्वयकों एवं अध्यापकों का चिन्हीकरण किया जाये ताकि उनको प्रशस्तिपत्र दिया जा सके।

<u>कार्यक्रम का अभिलेखीकरण–</u>

31 मई 2013 के पश्चात समस्त गतिविधियों का अभिलेखीकरण निम्न प्रारूप पर विकासखण्डवार तैयार कर जनपद स्तर की आख्या के साथ राज्य परियोजना कार्यालय को

फोटोग्राफ एवं पेपर कटिंग सहित दिनांक 10–6–2013 तक उपलब्ध कराया जाये। विभिन्न योजनाओं में जिला स्तर पर डिजिटल कैमरे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः फोटोग्राफी पर अलग से व्यय न किया जाये।

कमांक	गतिविधि	अनुश्रवण के बिन्दु
1.	रैली व प्रभात फेरी	❖ कितने गांव में आयोजित की गई। ❖ कितने घरों में नामांकन हेतु सम्पर्क कर रंगीन चाक से तिथि अंकित की गई।
2.	नामांकन मेला	❖ मेला की तिथि ❖ गतिविधियों का विवरण ❖ प्रतिभागियों की संख्या का विवरण ❖ चर्चा व निर्णय के मुख्य बिन्दु ❖ कितने बच्चों को नामांकन के लिए चिन्हित किया गया
3.	प्रवेश उत्सव	❖ प्रवेश उत्सव की तिथि ❖ प्रवेश उत्सव के दौरान आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण।
4.	नामांकन	❖ कुल कितने बच्चों को नवीन प्रवेश किया गया ❖ कक्षावार संख्या दी जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: स्कूल चलो अभियान/ 5812/2013–14 लखनऊ, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा,शिक्षा अनुभाग–5, उ0 प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0 प्र0।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0 प्र0।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) समस्त मण्डल।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद।

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक